Crim-1

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, मुकाम दीगोद

बनाम ..... बानदी वगै0

प्रहलाद ..... नं. 40 ..... सन् 2015

मुकदमा 212 RTA

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
4.6.15	प्रार्थना पत्र प्रार्थी प्रहलाद वगे0 की ओर से अभिभाषक श्री हरिशंकर मेघवाल द्वारा उपस्थित होकर प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिपक्षी0 को जरिये नोटिस तलब किया जावे वकील प्रार्थी श्री एच0 मेघवाल को एकतरफा अस्थायी निषेधाज्ञा पर सुना गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी ने निवेदन किया है कि ताफैसला वाद प्रार्थी के पक्ष में प्रतिपक्षी0 के विरूद्ध एक अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की प्रसारित की जावें कि प्रतिपक्षी ग्राम टाकरवाडा तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 460, 567, 583 कुल किता 3 रकबा 1.83 हे0 भूमि को अथवा उसके किसी भी हिस्से व भाग की भूमि को किसी प्रकार से खुर्द बुर्द व बैचान तथा अन्तरण नहीं करें तथा प्रार्थी0 के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करें। ऐसा न तो स्वयं करें और न ही अपनें प्रतिनिधि से करवाये। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत फोटोप्रति जमाबंदी ग्राम टाकरवाडा सं0 2067–70 तथा अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रथम दृष्ट्या केस प्रार्थी0 के पक्ष मे नजर आता है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी0 के पक्ष मे है। अपरिमित क्षति होने की पूर्ण संभावना भी प्रार्थी0 को है। अतः अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिपक्षी नं0 1 ता 10 इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम टाकरवाडा तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 460, 567, 583 कुल किता 3 रकबा 1.83 हे0 भूमि का बैचान नहीं किया जावें। यदि प्रतिपक्षी0 को कोई आपत्ति हो तो वह आगामी तारीख पेशी 10.08.2015 को न्यायालय मे उपस्थित होकर पेश करें। अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिपक्षी0 आगामी पेशी तक के लिये जारी की जाती है। पत्रावली दि0 10.08.2015 को पेश हो। (सुखराम खोखर) सहायक कलक्टर,दीगोद पुनश्च पत्रावली लोक अदालत केम्प डूंगरपुर मे 8.2.17/15 को पेश हो।	
17/15	पत्रावली लोक अदालत केम्प डूंगरपुर मे पेश हुई। मूल वाद का निस्तारण हो चुका है। प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रहा है। पत्रावली नस्तशुमार होकर डाखिल दफ्तर हो।	